हमारे अधिकार

प्राक्कथन

अपने आधरभूत कानूनीं अधिकारों के सम्बंध में जागरूकता अत्यध्कि महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून हर व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तथापि, लोग इसे तब तक समझ पाने में असमर्थ होता है जब तक कि उनका किसी अवांछित अथवा स्थिति से सामना न हो।

यह पुस्तक कानूनी जागरूकता का प्रसार करने और साथ ही अन्य संगत मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करने का एक विनम्र प्रयास है।

डॉ॰ रईस
अध्यक्ष, आई.एम.डी.टी.

श्री रवी कान्त
अध्यक्ष, शक्तिवाहिनी

1. हमारे मौलिक अधिकार

संविधान क्या है?

हर देश का एक संविधान होता है, जिसमें देश की सरकार और नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और वैधनिक व्यवस्था का विवरण होता है। इसी संविधान से सारे नियम कानून का जन्म होता है। यानि कि, कोई भी ऐसा नियम या कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान में नहीं हो।

हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं?

वो अधिकार जो किसी भी व्यक्ति के सम्मानित और सुरक्षित जीवन और उसके विकास के लिए जरूरी है, उन्हें हमारे संविधान में 'मौलिक अधिकार ' कहा गया है। मौलिक अधिकार का मतलब मूल अधिकार कोई भी व्यक्ति या सरकार इन अधिकारों को चोट नहीं पहुंचा सकता है। हमारे मौलिक अधिकार निम्नलिरिवत है।

1. **समानता का अधिकार**:

   कानून की नजर में हर नागरिक समान है और जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, व्यवसाय आदि के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार

- सभी नागरिकों को देश में कहीं भी आने–जाने बसने या व्यवसाय करने की आजादी है।
- अपने विचार व्यक्त करने और सभी तक खबर पहुंचाने की आजादी हर नागरिक को है।
- सभी नागरिकों को सभा या मीटिंग करने की आजादी है।
- सभी नागरिकों को अपने या अपने समुदाय के विकास और सुरक्षा के लिए संगठन बनाने का अधिकार है।
- सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार काम–धंधा या रोजगार करने का अधिकार है।

2. शोषण के विरुध अधिकार :

- किसी भी व्यक्ति की खरीद–बिक्री चाहे वो बच्चे हो या महिला या पुरुष गैरकानूनी है। बच्चों से खतरनाक काम करवाना या यौन कर्म करवाना भी संगीन जुर्म है।
- किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, आर्थिक या सामजिक शोषण मौलिक अधिकार के विरुध है, इसलिए गैरकानूनी है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारः

हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, अपनाने और किसी भी धर्मिक स्थान पर जाने का अधिकार है।

5. सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार :

हर नागरिक को अपनी संस्कृति का प्रचार–प्रसार करने का अधिकार है।

6. संवैधानिक उपचार के अधिकार :

- असमर्थ होने की स्थिति में सरकार की ओर से मुफ्त कानूनी सहायता लेना भी हमारा मौलिक अधिकार है।
- ऊपर बताये गई सारी बातें हमारे मौलिक अधिकार हैं। यदि कोई व्यक्ति, समुदाय, संगठन या सरकार इसमें से किसी को भी तोड़े तो उनमें से किसी के भी खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करना भी हमारा मौलिक अधिकार है। इसकी शिकायत सिर्फ एक पत्र लिखकर या पोस्टकार्ड भेजकर भी की जा सकती है।

हमारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिकार

1. किसी भी महिला या बच्चे को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है।
2. किसी महिला की तलाशी केवल महिला पुलिस ही ले सकती है।
3. एफ.आइ.आर. की कॉपी मुफ्त में पुलिस से लेना भी हमारा अधिकार है।
4. पुलिस द्वारा थाने में या पूछताछ के दौरान मारपीट करना भी गैरकानूनी है।
5. गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है।
6. साफ पानी, हवा और वातावरण में रहना भी हमारा मौलिक अधिकार है।
7. गिरफ्तारी के समय पुलिस बिना जरूरत के न तो मारपीट कर सकती है और न हथकड़ी लगा सकती है।
8. महिला को केवल महिला लॉकअप में ही रखा जा सकता है।
9. ऊपर लिखे गये सारे अधिकार किसी भी नागरिक को उन्हें देश की शांत, सुरक्षा और एकजुटता को भंग करने या बाधा पहुंचाने वाले कार्य करने की इजाजत नहीं देता है। ऐसा कोई भी कार्य गैरकानूनी होता है।

2. हमारे मौलिक कर्त्तव्य

संविधान ने हमें कई मौलिक अधिकार दिये हैं तो साथ–साथ हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी संविधान ने बताये गये हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में बहुत बड़ा फर्क ये है कि मौलिक कर्तव्य का पालन न किये जाने पर हमारे कानून में उसकी कोई सजा नहीं है। उसका पालन करना हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य होता है। हमारे मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं :–

1. संविधान, राष्ट्रीय झण्डा, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय सम्मान के हर प्रतीक की इज्जत करना।
2. हमारे राष्ट्रीय आजादी के संघर्ष से संबंधित कर प्रतीक और आदर्श का पालन करना।
3. देश की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करना और इसके खिलापफ कोई कार्य न करना।
4. आपत्ति के समय जरूरत पड़ने पर देश की सेवा और सुरक्षा के लिये आगे आना।
5. बिना किसी जातीय, साम्प्रदायिक, लिंग या क्षेत्रीय भेदभाव के देश की शांति और भाईचारे को बढ़ाना और महिला के असम्मान से जुड़ी हर बात को खत्म करना।
6. हमारे सांस्कृतिक विविधता और धरोहर की रक्षा करना।
7. हमारे प्राकृतिक वातावरण के साथ–साथ पर्वत, जंगल, नदियाँ, झील, झरने एवं जंगली जीवों की सुरक्षा करना।

8. मानवता और वैज्ञानिक बातों को बढ़ावा देते हुए देश के विकास एवं तरक्की को बढ़ावा देना।
9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा न करना।
10. देश के संपूर्ण विकास के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक तरक्की के लिये कार्य करना।
11. हर अभिभावक को अपने बच्चे को समुचित शिक्षा ओर उसको समुचित विकास की व्यवस्था करना चाहिए। इसे संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है।

3. एफ.आई.आर. से संबंधित हमारे अधिकार

एफ.आई.आर. क्या है?

- एफ.आई.आर. का मतलब है 'प्राथमिक रिपोर्ट' (First Information Report) किसी अपराध या वारदात के बारे में थाने में दर्ज की जाने वाली रिपोर्ट को एफ. आई.आर. कहते हैं।
- एफ.आई.आर. के बाद पुलिस मामले की छानबीन शुरू करती है। कुछ मामलों को छोड़कर बिना एफ.आई.आर. के पुलिस मामले की छानबीन नहीं कर सकती है।
- एफ.आई.आर. का बहुत महत्व होता है क्योंकि आगे की सारी कानूनी कार्यवाही इसी के आधार पर होती है। इसलिए एफ.आई.आर. में आप जाँच ले कि वो सही ढंग से लिखवा गया है।

एफ.आई.आर. करना आपका अधिकार है

अगरः—

1. आप किसी जुर्म या अपराध के शिकार होते हैं।
2. जुर्म या अपराध किसी और पर भी हुआ हो और आपको उसकी जानकारी हो या आपने देखा हो।
3. दूसरे शब्दों में एफ.आई.आर. सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही नहीं बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति भी करा सकता है।

4. एफ.आई.आर. कैसे करायें?

- एफ.आई.आर. लिखित या मौखिक रूप से कराया जा सकता है। यहाँ तक कि टेलीफोन पर भी एफ. आई.आर. कराया जा सकता है। लेकिन, जहाँ तक संभव हो अपनी उपस्थिति में एफ.आई.आर. कराना अच्छा होता है क्योंकि एफ.आई.आर. मे तथ्यों के तोड़ने–मरोड़ने की शंका कम हो जाती है।
- आपका हक है कि आप अगर लिख या पढ़ नहीं सकते तो पुलिस आपके मौखिक बयान को लिखे और फिर आपको पढ़ के सुनाये कि जैसा आपने बताया है एफ.आई.आर. वैसे ही रजिस्टर किया गया है।
- एफ.आई.आर. लिखे जाने के बाद उस पर आपका दस्तखत या अंगूठे का निशान लगाना आपका हक है। इसके बिना एफ.आई.आर. मान्य नहीं होता है। आप अपना एफ.आई.आर. पढ़कर या सुनकर संतुष्ट होने के बाद ही दस्तखत करें या अंगूठे का निशान लगायें। ये आपका हक है।
- एफ.आई.आर. की कॉपी पुलिस से जरूर लें। मुफ्त में इसे लेना भी आपका हक है।

एफ.आई.आर. में किन बातों का होना जरूरी है?

1. आपका नाम और पता
2. दिन, समय और घटनास्थल
3. मामले का बिल्कुल सही विवरण
4. मामले में शामिल लोगों के नाम और विवरण
5. अगर संभव हो तो गवाह भी।

ऐसा बिल्कुल न करें :–

1. कभी भी झूठा एफ.आई.आर. न करें या एफ.आई.आर. में झूठी बातें न डालें। इसके लिये सजा हो सकती है।
2. कभी तथ्यों को बढ़ा–चढ़ाकर या तोड़–मरोड़कर न बतायें। इससे केस कमजोर हो सकता है।
3. कभी भी उलझे या अस्पष्ट बयान न दें। इससे भी मामला कमजोर पड़ सकता है।

अगर पुलिस एफ.आई.आर. न लिखे तो :–

- एस.पी. डी.आई.जी. या आई.जी. से मिलकर अपने मामले की जानकारी देना आपका हक है। ऐसा आप उन्हें रजिस्टर्ड सरकारी पोस्ट भेजकर भी कर सकते हैं। इसकी रसीद या पावती अपने पास जरूर रखें।
- इसके अलावा अपने स्थानिक कोर्ट में भी एफ.आई. आर. कराने का आपका हक है।
- अगर पुलिस अपना काम निष्पक्ष और बराबर रूप से न करे तो प्रातीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उसके खिलाफ शिकायत करना भी आपका अधिकार है।

4. गिरफ्तार/बंदी;Detention) होने संबंधीं हमारे अधिकार

हमारा कानून हर नागरिक को किसी जुर्म या अपराध का आरोपी होने पर भी अधिकार देता है, जो नीचे लिखे हैं :–

1. बिना पूरे और सही तरीके से वर्दी में होने पर कोई भी पुलिस अध्किारी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। वर्दी पर उस अधिकारी के नाम और पद का प्लेट भी सही तरीके से लगा होना चाहिए।

2. गिरफ्तार किये गये आरोपी को उसके गिरफ्तारी कारण बताना गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का फर्ज और आरोपी का अधिकार है।
3. आरोपी पर लगा केस जमानती है या गैर–जमानती और अगर जमानती है तो जमानत पर वह व्यक्ति छूट सकता है ये भी बताना उस पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है और ये जानना उस व्यक्ति का अधिकार है।
4. गिरफ्तार किये गये आरोपी व्यक्ति को 24 घण्टे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पुलिस की ड्यूटी है और उस व्यक्ति का हक है।
5. किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार करना गैर कानूनी है।
6. किसी भी महिला की तलाशी सिर्फ महिला पुलिस ही ले सकती है।
7. किसी भी महिला आरोपी को पुलिस हिरासत में अलग महिला हवालात में ही रखा जा सकता है।
8. किसी भी आरोपी को अपने गिरफ्तारी की सूचना अपने किसी संबंधीं या मित्र को तुरंत देने का अधिकार है। आरोपी को इसकी जानकारी न होने पर उसे उसके इस अधिकार के बारे में बताना और उसके किसी संबंधीं या मित्र को तुरंत उसकी गिरफ्तारी की सूचना देना भी पुलिस की ड्यूटी है।
9. गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी का मेमो बनाना भी जरूरी है। मेमों पर आरोपी के किसी संबंधीं या मित्र या उस क्षेत्र के

किसी जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर होने भी जरूरी है। उस मेमो पर गिरफ्तारी की तारीख और समय जरूर होना चाहिये।

10. गिरफ्तारी की सूचना और आरोपी को कहां रखा गया है इसकी सूचना 12 घंटे के अंदर पुलिस को जिला नियंत्रण कक्ष को देना जरूरी है। ये सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के नोटिस बोर्ड़ पर तुरंत लगाया जाना चाहिए।
11. बिना कारण के पुलिस गिरफ्तारी के समय न तो मारपीट कर सकती है और न ही हथकड़ी लगा सकती है।
12. गिरफ्तारी के तुरंत बाद कोई भी आरोपी तुरंत अपने वकील से सलाह ले सकता है और ऐसा वो हवालात में जब तक रहे तब तक कर सकता है।
13. पुलिस आरोपी के साथ थाने में भी मारपीट या छेड़छाड़ नहीं कर सकती है।
14. हरेक आरोपी को हवालात में बंद होने पर भी अपना इलाज करवाने का हक है। वो चाहे तो हरेक 48 घंटे पर अपना इलाज करवा सकता है।
15. आरोपी अगर गरीब है तो सरकार से मुफ्त कानूनी सहायता लेना उसका अधिकार है। आरोपी को अगर उसकी जानकारी न हो तो उसके बारे में उसे बताना पुलिस की ड्यूटी है। आरोपी का यह अधिकार उसके गिरफ्तार होने के तुरंत बाद लागू हो जाता है।

16. मुफ्त कानूनी सहायता की जरूरत होने पर इसके लिए निकटतम 'कानूनी सहायता कमेटी' को तुरंत संपर्क करना भी पुलिस की ड्यूटी है।

गिरफ्तारी के समय क्या न करें?

1. कभी भी शारीरिक विरोध न करें।
2. अपना नाम–पता बताने में विरोध न करें और न ही गलत नाम–पता बतायें।
3. ऐसा करने पर पुलिस को शक्ति प्रयोग करने और हथकड़ी लगाने का अधिकार होता है। इसलिए ऐसा करने से उन्हें मारपीट का मौका मिलता है।

गलत गिरफ्तारी पर क्या करें?

1. एस.पी. या दूसरे सीनियर पुलिस ऑफीसर से शिकायत करें या
2. कोर्ट में शिकायत करें या
3. प्रांतीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत करें।

5. पुलिस पूछताछ से संबंधित हमारे अधिकार

जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की है कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तब भी हमारे कानून ने हमारी सुरक्षा और न्याय के लिए कई अधिकार दिये हैं।

जैसे कि :–

1. पुलिस को किसी भी आरोपी को अपने ही खिलाफ बयान देने या सबूत देने के लिए दबाव डालने का हक नहीं है।
2. पुलिस को आरोपी पर लगा आरोप कबूल करने के लिए किसी प्रकार दबाव डालने या मारपीट करने का अधिकार नहीं है।
3. पुलिस को दिये गये बयान पर आरोपी का दस्तखत करना जरूरी नहीं है। अगर आरोपी पुलिस के रिकॉर्ड किये गये बयान से सहमत है तभी वह दस्तखत करे।
4. यदि कोई आरोपी बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी इच्छा से गुनाह कबूल करे तभी पुलिस को दिया बयान मान्य होता है।
5. अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी ने अपना बयान पुलिस के दबाव में दिया है तो उस पर आरोपी का दस्तखत होने के बावजूद बयान खारिज किया जा सकता है। सिर्फ मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही दिया गया बयान मान्य होता है।
6. आरोपी को पुलिस पूछताछ के दौरान अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार है। पूछताछ के लिए जाने पर अपने साथ किसी संबंधी या मित्र को लेकर जाना हमारा अधिकार है।

पुलिस पूछताछ के दौरान क्या करना चाहिए?

- शांति के साथ सही तरीके से बात करें।
- जहाँ तक संभव हो स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तर दें।
- कोई भी उलझी या झूठी बात न बोलें।
- जरूरत से ज्यादा न बोलें। साधरणतः लोग पुलिस को खुश करने या प्रभावित करने के लिए ऐसा करते हैं। इसमें उलझने की संभावना बढ़ जाती है।
- अपने किसी संबंधीं या मित्र को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जायें।
- किसी महिला या बच्चे को पूछताछ के लिये पुलिस स्टेशन ले जाना गैरकानूनी है पुलिस उनसे उनके घर पर और वो भी उनके किसी संबंधीं या मित्र की उपस्थिति में ही पूछताछ कर सकती है।

पुलिस अगर ऊपर बताये गये अधिकारों को तोड़े तो क्या करें?

1. एस.पी., डी.आई.जी. या आई.जी. से शिकायत करें। ऐसा उन्हें रजिस्टर्ड डाक में चिट्ठी भेजकर भी किया जा सकता है। अगर उन्हें आपकी शिकायत सही लगती है तो वो किसी को भी जाँच के लिये नियुक्त कर सकते हैं या ऐसा वो खुद भी कर सकते हैं।

2. या फिर अपनी शिकायत अपने स्थानिक कोर्ट में भी कर सकते हैं। यह रजिस्टर्ड डाक भेजकर भी किया जा सकता है। डाक की पावती संभालकर अपने पास रखें।
3. या आप सीधे राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपनी शिकायत कर सकते हैं।

6. मुफ्त कानूनी सहायता के हमारे अधिकार

1. कोई भी गरीब आरोपी जो कानूनी खर्चे को उठाने में काबिल नहीं है, उसे सरकार से मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है।
2. ऐसी स्थिति में ये पुलिस की ड्यूटी है, कि वो गिरफ्तारी के तुरंत बाद निकटतम कानूनी सहायता कमेटी को इसकी जानकारी दे।
3. मजिस्ट्रेट और जज की भी यह जिम्मेदारी है कि वो आरोपी को उसके इस अधिकार के बारे में कोर्ट में पेशी होने पर बताये।
3. अगर आरोपी को अपने इस अधिकार के बारे में जानकारी न हो और उसे मुफ्त कानूनी सहायता न दी गई हो तो दिया गया फैसला रद्द भी हो सकता है।

मुफ्त कानूनी सहायता हर उस पुरुष या महिला को मिल सकता है, जोः—

1. अनुसूचित जाति या जनजाति से हो।
2. अगर केस सुप्रीम कोर्ट में है तो उसकी वार्षिक आवक 50,000/— रुपये से कम हो। अगर केस हाईकोर्ट में है तो उसकी वार्षिक आवक 25,000/— रुपये से कम हो।
3. मानव ट्रैफिकिंग का शिकार हो या भिखारी हो।
4. शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो।

5. एक महिला या बच्चा हो।
6. किसी प्राकृतिक, औद्योगिक या साम्प्रदायिक आपदा का शिकार हो।
7. किसी कारखाने का मजदूर हो।
8. हिरासत में बंद कैदी हो।

कानूनी सहायता समिति से मिलने वाली मुफ्त सुविधायें:

1. कोर्ट और दूसरे कानूनी प्रक्रिया में होने वाले खर्चे।
2. किसी भी कानूनी दस्तावेज को बनाने या कोर्ट में उसे जमा करने में होने वाले खर्च।
3. वकील का खर्च।
4. किसी निर्देश, फैसला या सुनवाई की कॉपी को लेने में होनेवाले खर्च।
5. अनुवाद, प्रिंटिंग और किसी भी प्रकार के कानूनी कार्य में होनेवाले खर्च।

इन मामलों में मुफ्त कानूनी सहायता नहीं मिल सकती हैः—

1. झूठे केस, कोर्ट की अवमानना संबंधीं मामले में
2. मतदान संबंधीं मामले में
3. 50/— रुपये से कम जुर्माना वाले केस में
4. आर्थिक अपराध और सामाजिक अपराध के केस में
5. अगर मांग करनेवाले आरोपी न हो या मामले से उस पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता हो।

7. बेल पाने से संबंधित हमारे अधिकार

बेल क्या है?

- हमारे कानून में आरोपों को जमानती और गैर—कानूनी दो वर्गों में बाँटा गया है। जमानती मामलों में अरोपी बेल पर छूट सकता है और उसका अधिकार है।
- गैर जमानती मामलों में भी आरोपी बेल पर छूटने की अर्जी दे सकता है, लेकिन यह उसका अधिकार नहीं होता है।
- जब किसी आरोपी को कोई या पुलिस द्वारा निर्धारित शर्तों को मानने की गारंटी देने और जमानत के तौर पर तय रकम गारंटी के तौर पर

जमा करने के बाद छोड़ा जाता है तो उसे बेल कहते हैं।

- आरोपी को बेल देने का अधिकार पुलिस और कोर्ट को है। लेकिन, एक बार कोर्ट में पेशी हो जाने के बाद बेल देने का पुलिस का अधिकार खत्म हो जाता है।
- ऐसे मामलों में जिसकी सजा मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या दस साल की कैद हो सकती है और पुलिस 90 दिनों के अंदर छानबीन नहीं कर पाती है तो आरोपी को बेल पर छोड़ना जरूरी है। दूसरे मामलों में यह समय सीमा 60 दिनों की है।

बेल बान्ड क्या है?

बेल पाने के लिए आरोपी की तरपफ से दी गई लिरिवत और आर्थिक गारंटी को बेल बान्ड कहते हैं। बेल बान्ड के बाद ही आरोपी को बेल मिल सकता है। बेल बान्ड दो तरह के होते हैं। व्यक्तिगत बान्ड ;Personal Bond) जमानती बान्ड (Surety Bond)

जमानती बान्डः—

जब कोई दूसरा व्यक्ति आरोपी की गारंटी लेते हुए बेल बान्ड भरता है तो उसे जमानती बान्ड कहते हैं।

- ये बान्ड भरनेवाला व्यक्ति समाज / समुदाय का एक जिम्मेदार नागरिक होने चाहिए।
- जमानती बान्ड के लिए बेल बान्ड इस आधार पर नहीं ठुकराया जा सकता है कि भरनेवाला दूसरे जिले या राज्य का रहनेवाला है।
- अगर आरोपी छूटने के बाद बेल के किसी भी शर्त को तोड़ता है तो आर्थिक गारंटी के रूप में जमा रकम जब्त हो जाती है, जिसे जमानत जब्त होना कहते हैं और इसके बाद आरोप ज्यादा गंभीर हो जाते हैं।

व्यक्तिगत बान्ड :–

अगर कोई जमानती बान्ड भरनेवाला नहीं है तो आरोपी खुद भी अपना बेल बान्ड भर सकता है, जिसे व्यक्तिगत बान्ड कहते हैं।

- इसके लिए आरोपी को पुलिस या कोर्ट को संतुष्ट करना होगा कि वो बेल के बाद फरार नहीं होगा।
- व्यक्तिगत बान्ड के आधर पर बेल देने से पहले इन बातों को तय किया जाता है कि –
  - आरोपी कितने दिनों से समुदाय में रह रहा है?
  - आरोपी का वर्तमान रोजगार क्या है और पहले वो क्या करता था?
  - आरोपी का चरित्र और छवि क्या है?
  - आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड और बेल रिकॉर्ड कैसा है?
  - समुदाय के जिम्मेदार लोगों की राय उसके बारे में क्या है?
  - आरोपी पर लगा आरोप कितना गंभीर है?
  - आरोपी के दोषी (होने और सजा होने की संभावना क्या है?
  - यदि सजा होती है तो वो कितनी लंबी हो सकती है?

- अगर आरोपी छूटने के बाद इसमें से कोई भी शर्त को तोड़ता है तो बेल रद्द हो जाती है और आरोप ज्यादा गंभीर बन जाते हैं।

बेल की शर्तें :–

नीचे लिखी शर्तों में से कोई भी या सभी शर्त आरोपी को बेल देने के लिए लगाये जा सकते हैं –

1. दिये गये समय पर थाने मे नियमित रूप से रिपोर्ट करना।
2. पूछताछ के लिये जब भी बुलाया जाये थाने में हाजिर होना।
3. तारीख के दिन कोर्ट में हाजिर होना।
4. बिना इजाजत के उस इलाके या देश से बाहर नहीं जाना।
5. वादी या गवाह जहाँ रहता हो, उसके घर या उस क्षेत्र में नहीं जाना।
6. सबूत से छेड़छाड़ नहीं करना।
7. गवाहों पर कोई भी दबाव नहीं डालना।
8. कोई और जुर्म नहीं करना।
9. पता बदलने पर तुरंत पुलिस या कोई को बताना।

बेल की शर्तों में क्या नहीं हो सकता है?

1. आरोपी की हैसियत से ज्यादा धनराशि।
2. आरोपी को अपने खिलाफ बयान या सबूत देने के लिए दबाव डालनेवाला कोई भी निर्देश।
3. आरोपी के रोजगार या उसके जरूरी दैनिक कार्य को बाधित करनेवाला कोई भी अव्यावहारिक प्रतिबंध।

बेल किन आधारों पर रद्द नहीं किया जा सकता है?

1. सिर्फ गवाह के मुकर जाने के आधार पर बेल रद्द नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि ऐसा आरोपी के दबाव के कारण हुआ है।
2. सिर्फ उलझे बयानों के आधार पर भी नहीं। इसके लिए भी आरोपी की जिम्मेदारी पुलिस को (करनी पड़ेगी।
3. इस आधार पर भी नहीं कि बेल के बाद किसी सबूत या सामान की जब्ती के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी है।

मदद के लिए सम्पर्क करें

- 100 नं. पर फोन करके पुलिस बुलवा सकते हैं।
- गैर–सरकारी संगठन की मदद से।
- गैर–सरकारी संगठन के कर्मियों से मिलकर।
- अपने निकटतम चौकी अथवा थाने में जाकर।
- अपने किसी मित्र व साथी की मदद से जिस पर आपको विश्वास हो।
- महिला हेल्पलाइन 1091 पर फोन करके।
- जिलाधिकारी से सम्पर्क करें।
- महिलाओं के प्रति हिंसा से सम्बन्धित राज्य महिला आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्पर्क करें।
- मानवीय अधिकारों के हनन सम्बन्धित राज्य मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार से सम्पर्क करें।

राष्ट्रीय महिला आयोग

- राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 20 अगस्त 1990 में किया गया, इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत वर्ष में किया गया है सिवाय जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर किया गया है जोकि महिलाओं के प्रति समर्पित आयोग का गठन किया गया जो कि महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं के निवारण हेतु इसका गठन किया गया।

महिला आयोग के कार्य

- *संवि*धान और अन्य कानून के अधीन महिला के लिए रक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का निराकरण एवं परीक्षण करना।
- केन्द्र सरकार को जो रक्षा उपाय महिलाओं के प्रति बनाए गए हैं उनको वार्षिक रूप एवं समय पर प्रस्तुत करना।
- संविधान एवं कानून में महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून का समय–2 पर पुनरीक्षण करना और उसमें समीक्षा के लिए सुझाव देना।
- महिलाओं के प्रति हिंसा से संबंधित महिला आयोग से सम्पर्क कर उसका समाधान किया जा सकता है।

- पता : राष्ट्रीय महिला आयोग, 4—दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली,
  दूरभाष : 011—23237166, पफैक्स : 011—23219750,
  ई—मेल% ncw@nic.in,वेबसाइट www-ncw.nic.in

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 28 सितम्बर 1993 में किया गया जो मानवाधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है एवं मानव अधिकारों के उल्लंघन पर कार्यवाही करता है, यह देश के सभी राज्यों में बनाया गया है।

मानवाधिकार आयोग के कार्य

- यदि पुलिस आपके अधिकारों को तोड़े तो आप सम्पर्क कर सकते हैं।
- यदि आपकी गलत रूप से गिरफ्तारी की गई है तो आप मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं।
- यदि पुलिस आपकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करती तो आप मानवाधिकार में सम्पर्क कर सकते हैं।
- अगर पुलिस अपना काम बराबर रूप से न करे तो आप मानवाधिकार आयोग में उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।

- अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप मानवाधिकार में शिकायत कर सकते हैं।
- मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों के प्रयासों को उत्साहित करना।
- पताः फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली–110001

  दूरभाषः 011–23384012, फैक्सः 23384863, ई–मेल : covdnhrc@nic.in

  वेबसाइट www.nhrc.nic.in

गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका

- शोषण के विरुध (कार्यवाही के दौरान गैर–सरकारी संगठन गवाह, सलाहकार, साझेदार के रूप में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।
- उत्पीड़ित व्यक्ति की काउंसिलिंग तथा उसे हादसा मुक्त करना।
- उत्पीड़ित व्यक्ति का हित किसमें है उसके लिए पुलिस की सहायता करना जिसके अनुसार पुलिस कार्यवाही कर सके।
- उत्पीड़ित व्यक्ति को अनुकूल व्यवहार परिवर्तन में लाना।
- जब उत्पीड़ित व्यक्ति को अन्य भाषा बोलता हो तो गैर–सरकारी संगठन अनुवादक की व्यवस्था कर सकते हैं।
- उत्पीड़ित महिला के पुनर्वास की व्यवस्था कर सकती है जिसमें कि वह उसे कुछ ज्ञान एवं हुनर सिरवाकर जिससे की वह कुछ काम कर सके।
- गैर–सरकारी संगठन उत्पीड़ित व्यक्ति/गवाह की मानसिकता में परिवर्तन लाने में जिससे कि वह अदालती कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार करने में काउंसिलिंग के रूप में मदद कर सकते हैं।
- मुफ्त कानूनी सलाह देकर।